कार्यालय– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन, स्थान–उरई।

कार्यालय ज्ञाप / विज्ञप्ति

मा0 अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार इस जनपद के समस्त सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि कारागार में निरूद्ध विचाराधीन / सिद्धदोष बन्दियों को निःशुल्क विधिक परामर्श / सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित विधिक प्रकोष्ठ कारागार में दो अधिवक्ता सदस्य नामित किये जाने हैं। इनमें एक महिला एवं एक पुरूष अधिवक्ता को नामित किया जायेगा।

इन पदों की अर्हता निम्नांकित है:–

1– ऐसा व्यक्ति जो प्रतिष्ठा प्राप्त वकील हो।

2– जो विधिक सेवाओं, योजनाओं, विधिक कार्यक्रमों के कियान्वयन एवं आयोजन इत्यादि में रूचि रखता हो तथा निःशुल्क विधिक सेवाएं देने हेतु इच्छुक हों।

उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले स्वच्छ छवि के व्यक्तियों से उनके नाम, पता, ई–मेल आईडी0, जीवन–वृत्त, टेलीफोन नं0 / मोबाइल नं0, बार काउन्सिल पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया–प्रति और उनके कार्य / अनुभव के विवरण सहित आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन–पत्र समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन, स्थान–उरई के कार्यालय में या इसकी अधिकृत मेल–आईडी **dlsajalaun@gmail.com** अथवा जिला दीवानी न्यायालय, जालौन, की अधिकृत मेल–आईडी **dcjal@allahabadhighcourt.in** पर दिनांक–15.01.2021 तक सायंकाल 05:00 बजे के पूर्व जमा करना होगा। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के दिनांक, समय व स्थान की सूचना पृथक से अभ्यर्थियों को भेजी जायेगी, जो आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात जनपद दीवानी न्यायालय, जालौन, स्थान– उरई की आधिकारिक वेबसाइट **districts.ecourts.gov.in/jalaun** पर देखी जा सकती है। अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को सुरक्षित रहेगा। चयन के सम्बन्ध में, मा0 अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

दिनांक– 23 .12.2020

प्रभारी सचिव / सिविल जज (सी.डि)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जालौन, स्थान– उरई।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी, जालौन को समस्त समाचार–पत्रों में न्यूज–आइटम के रूप में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. जिला दीवानी न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कलैक्ट्रेट जालौन एवं जिला अधिवक्ता संघ जालौन के सूचना बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, जालौन को उपरोक्त सूचना को जिला दीवानी न्यायालय जालौन की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

23.12.20

प्रभारी सचिव / सिविल जज (सी.डि)
प्रभारी सचिव / सिविल जज (सी0डि0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जालौन स्थान–उरई